<u>न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 82/16

बउनवान

सत्यवान पुत्र सीताराम आयु 40 वर्ष जाति–मीणा निवासी–तिसाया तहसील–बारां, जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, सीसवाली (रेस्पोंडेंट)

<u>अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

<u>निर्णय दिनांक– 27.01.2020</u>

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 16.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–तिसाया, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 206/1121 रकबा 0.32 है0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर जप्ती,बेदखली, 512/– रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व जवाबदेहीं का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। मनमाना विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड रखा है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा बिना मौका व कब्जे की जॉच किये, हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर, निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में पूर्व बेदखलीनामा व स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करने की कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 93/17 निर्णय दिनांक 14.03.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2018 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 237/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.3.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली का उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.02.06 11:12:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: